भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

आतारांकित प्रश्न सं. 2815

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार</u>

2815. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में हाल ही में हो रहे एलपीजी और एलएनजी संकट को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): हाल ही के ऊर्जा संकट तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सौर, पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत, ग्रीन हाइड्रोजन आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की त्वरित स्थापना के माध्यम से एलपीजी और एलएनजी सहित जीवाश्म ईंधनो पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए है। इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदम **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

<u>सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की गति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम</u>

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ), राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम तथा लघु जल विद्युत विकास योजना जैसी योजनाएं शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- प्रोटोटाइप पवन टरबाइन की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- दिनांक 31 जुलाई 2025 को पवन टरबाइन मॉडलों और निर्माताओं (RLMM) की संशोधित सूची में पवन टरबाइन मॉडलों को शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी की गई। यह संशोधन RLMM का नाम बदलकर मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची [ALMM (पवन)] के रूप में करता है और भारत के भीतर डेटा केंद्रों की अनिवार्य पुनर्स्थापना और भारत के बाहर रियल-टाइम डेटा हस्तांतरण पर प्रतिबंध के साथ-साथ ब्लेड, टॉवर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बीयरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बियरिंग) जैसे सूचीबद्ध कंपोनेंटों का उपयोग करना अनिवार्य करता है।
- दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को ALMM-पवन और ALMM - पवन टरबाइन कंपोनेंटों (ALMM - WTC) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, कारखाना निरीक्षण, कंपोनेंट मूल्यांकन और मॉडल सूचीबद्धता के लिए संपूर्ण (एंड-टू-एंड) प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा (FDRE) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम), जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिवों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक हब बनाना है। एनजीएचएम के अंतर्गत, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता की स्थापना करना है।
- सितंबर 2023 में राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली संवर्धन फ्रेमवर्क जारी किया गया, जो भंडारण प्रौद्योगिकियों की स्थापना, बाजार समेकन और विनियामक सुविधा के लिए विस्तृत रोडमैप प्रदान करता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू की गई परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए, दिसंबर 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए, तथा दिसंबर 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) शुल्कों को माफ कर दिया है।
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।

- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए है। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- अक्टूबर 2021 में जारी किए गए विद्युत (अनिवार्य रूप से संचालित विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा) नियम, 2021 यह सुनिश्चित करता है कि जल के रिसाव के दौरान आरई और हाइड्रो प्लांट सहित अनिवार्य रूप से चलाए जाने वाले बिजली संयंत्रों को मेरिट ऑर्डर डिस्पैच या अन्य वाणिज्यिक कारकों के लिए कम नहीं किया जा सकता है। कटौती की अनुमति केवल तकनीकी बाधाओं या ग्रिड सुरक्षा मुद्दों के लिए है।
- विद्युत प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) को स्पष्ट रूप से मान्यता देने के लिए दिसंबर 2022 में विद्युत नियमों में संशोधन किया गया था, जिससे उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्यों में उनकी भागीदारी संभव हो सके।
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) तथा ग्रीन डे अहेड मार्केट (जी-डीएएम) की शुरुआत की गई है।
- वैकल्पिक नवीकरणीय विद्युत खरीद का साधन प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफ्रेंस संबंधी पायलट योजना की शुरुआत की गई है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (अर्थात, सौर पीवी मॉड्यूलों, सौर पीवी इनवर्टरों और भंडारण बैटरी) तथा सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

*****